Bomb Blast in Brahmaputra Mail

2667. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a substantial number of Delhi bound Brahmaputra Mail passengers were killed in a recent train blast in Kokrajhar district of Assam;

(b) if so, the number of passengers killed and those injured in the train blast;

(c) the uuicoiue ui Hie inquiry conducted by Government into the incident; and

(d) the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) As per available information, 33 persons were killed and 70 others injured.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Government has taken various steps to bring the law and order situation in Assam under control. These include, inter alia, deployment of Para-Military Forces and Army -in the State, coordinated action by Army, Para-Military & State Police for counter-insurgency operations, declaration of United liberation Front of Asnm (ULFA), National Demociatic Front of Boroland (NDFB) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN (1)) as unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Regular review of the situation, both at State and Central Govt. level, is also being made.

Fire Incidents in the Country

2668. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the measures are being taken by Government to save thousands of lives and property worth crores of rupees lost every year due to fire incidents in the country and for modernisation of fire services; and

(b) if so, the details thereof, and if no measures are being taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) It is primarily for the State Governments to ensure effective fire prevention measures, including strengthing of fire services. The Central Government, on its part, is providing the following assistance to the State Governments:—

(i) Financial assistance for modernisation of fire service.

(ii) Training to fire personnel through the National Fire Service College, Nagpur.

(iii) Advising the State Governments to adopt a number of standards/ specifications on various types of fire fighting equipments.

(iv) Advising the State Governments on the preventive and other measures necessary to not only reduce the incidents of and damage from fire but also to bring greater awareness on the issue in the public.

संविधान के अनुच्छेद 310 का उन्मूलन

2669. **श्री शिव चरण सिंह:**
श्री गोविन्दराम मिरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क)क्या कुछ राज्य सरकारों ने भारत के संविधान से अनुच्छेद 310 का उन्मूलन करने का सुझाव दिया है;

(ख)यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से है; और

(ग)सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)ः (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सेवाओं के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय आयोग

2670.**श्री शिव चरण सिंह:**
श्री गोविंदराम मिरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में हुई कमी का अध्यय करने के लिए कोई उच्च स्तरीय आयोग गाठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये है;

(ग) यहि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)ः पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों के विकास के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के संबंध में बैकलॉग तथा मूलभूत ढांचे के क्षेत्रों में गैप की गहराई से जांच करने हेतु सरकर ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था।

(ख) आयोग ने 7 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें कृषि क्षेत्र, बागवानी तथा प्लांटेशन, मत्स्यपालन एवं पशुपालन, सिंचाई, बाढ़ – नियंत्रण, वन पर्यावरण, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागारिक उड्ड्यन, अन्तर्देशीय जल परिवहन नीति, दूरसंचार, प्रसारण, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, कोयला एवं विद्युत , उद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, शहरीकरण एवं विशष योजना, व्यापार एवं ट्रांजिट, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्त आदि क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित है। एक प्रभावी प्रबोधन संगठन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता की सिफारिश भी की गई है। सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

दिल्ली में हत्याएं

2671. **श्री राम देव भंडारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या यह सच है कि दिल्ली में हर सोलह घंटो में एक हत्या और एक बलात्कार की घटना घट रही है;

यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

यदि नहीं,तो दिल्ली में हत्या और बलात्कार का मासिक औसत क्या है; और

इस मामले में क्या कार्यवही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)ः (क) से (ग) 1996 के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए हत्या एवं बलात्कार के मामलों की संख्या क्रमशः 518 और 484 थी। हत्या के मामले में मासिक औसत 43 तथा बलात्कार के मामले 40 बनती है।

(घ) हत्या एवं अपराध सहित, अपराध की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों में, अन्य के साथ –साथ शामिल हैः-

(1) गश्त की मौजूदा बीट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्ञात बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठिभूमि न होने के कारण पुलिस के जाल से प्रायः बच निकलने वाले अपराधियों पर कडी नजर रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

(11) खतरनाक अपराधियों के आवागमन के बारे में आसूचना लगातार तैयार की जाती है और इन अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापे मारे जाते है। खासतौर से अंधेरी रातों में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि आपराधिक गिरोहों में ऐसी रातों में ही सक्रिय होने की प्रवृत्ति होती है।

(111) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गातिविधियों तथा उनके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का सत्यापन किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है।

(1V) अपने नौकरों का सत्यापन कराने के लिए नागारिकों को सक्रिय करने के लिए नौकरों का पूर्ववृत सत्यापन अभियान चलाया गया।

(v) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में "पड़ोसी निगरानी योजना" शुरू की गई है। बीट अधिकारी समय-समय पर वृद्व नागरिकों के पास जाते रहते है।